न्यायालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां जिला बारां राज०

पीठासीन अधिकारी

काना राम मीणा,

(RJS)

निर्णय दिनांक :– 30.03.2026

आपराधिक प्रकरण सं. 341/2018

सीआईएस नं. 324/2017

CNR No. RJBR020005312017

एफआईआर सं. 45/2016 पुलिस थाना सदर बारां जिला बारां (राज.)

अपराध अंतर्गत धारा 379, 401 भा0दं0सं0

PART– I

A

परिवादी	राजस्थान राज्य
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री हरिओम मीणा अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त/अभियुक्तगण	01. मनोज सहरिया पुत्र लटूरलाल निवासी अर्जुनपुरा थाना भंवरगढ जिला बारां राज. **(मफरूर)** 02. राकेश उर्फ कालू पुत्र रमेशचंद निवासी माथना चौराया बारां थाना कोतवाली बारां जिला बारां राज. 03. दुर्गाशंकर पुत्र रामकल्याण उर्फ कल्याण निवासी जयनगर थाना अंता जिला बारां हाल किराया मकान मस्जिद के पास अनन्तपुरा कोटा **(मफरूर)** 04. हेमराज पुत्र गंगाराम निवासी दादिया थाना सारोला जिला झालावाडा राज.
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अधिवक्ता श्री जितेन्द्र नागर व यतेन्द्र गौतम

B

अपराध की दिनांक	08.02.2016
एफआईआर की दिनांक	09.02.2016
आरोप पत्र की दिनांक	02.05.2016

आरोप सुनाये जाने की दिनांक		10.06.2016
साक्ष्य प्रारंभ होने की दिनांक		27.05.2017
निर्णय के लिए निर्धारित तिथि		30.03.2026
दंडादेश (यदि हो तो)	सुनवाई की दिनांक	-

C

अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरणः–

अभियुक्त/अभियुक्तगण की श्रेणी	अभियुक्त/अभियुक्तगण का नाम	प्रथम गिरफ्तारी की दिनांक	प्रथम बार जमानत पर बाहर आने की दिनांक	आरोपित अपराध	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दण्डादेश या परिवीक्षा आदेश का विवरण	धारा 428 सीआरपीसी के तहत अभिरक्षा में बितायी अवधि
02.	राकेश उर्फ कालू	27.02.2016	11.08.2016	379, 401 भा0दं0सं0	दोषमुक्त	–	27.02.2016 से 11.08.2016
	हेमराज	05.08.2016	22.11.2016				05.08.2016 से 22.11.2016

PART– II

साक्षियों की सूची– अभियोजन साक्षी/बचाव साक्षी/न्यायालय साक्षी

(A) अभियोजन साक्षी

श्रेणी	नाम	साक्षी की प्रकृति
PW1	राजेन्द्र	फरियादी
PW2	सुरेश	ताईद घटना
PW3	जुगराज	ताईद घटना
PW4	महेश	ताईद घटना
PW5	राजू	ताईद नक्शा मौका
PW6	शंकर सिंह	ताईद फर्द गिरफ्तारी, नक्शा मौका

PW7	अर्जुनराम	ताईद फर्द गिरफ्तारी, नक्शा तस्दीक घटनास्थल
PW8	सुशीला	ताईद रजिस्ट्रेशन में स्वयं का नाम होना
PW9	रूकमणी उर्फ मोहनी	ताईद रजिस्ट्रेशन में स्वयं का नाम होना
PW10	रामलाल	ताईद फर्द जप्ती व बरामदगी माल
PW11	महावीर प्रसाद	हालात तफ्तीश
PW12	प्रेमसुख	ताईद फर्द जप्ती व बरामदगी माल
PW13	मेघराज	फर्द जप्ती व बरामदगी व नक्शा बरामदगी
PW14	पदमा उर्फ शंकुतला बाई	ताईद रजिस्ट्रेशन में स्वयं का नाम होना

(B) बचाव साक्षी

RANK	NAME	साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
-	-	-

(C) न्यायालय साक्षी

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
–	–	–

प्रदर्शित दस्तावेजात की सूची : अभियोजन प्रदर्श/बचाव प्रदर्श/न्यायालय प्रदर्श

(A) अभियोजन प्रदर्श

क्र. सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
1	Ex P1 27.05.17 PW1	रिपोर्ट
2	Ex P2 27.05.17 PW1	चाक एफआईआर
3	Ex P3 27.05.17 PW1, PW3, PW5, PW11	नक्शा मौका
4	Ex P4 27.05.17 PW1, PW11	फर्द सुपुर्दगी
5	Ex P5 लगायत Ex P7 12.04.22 PW6, PW11	फर्द गिरफ्तारी
6	Ex P8 12.04.22 PW6, PW7, PW11	नक्शा मौका
7	Ex P9 12.04.22 PW6	फर्द गिरफ्तारी
8	Ex P9 22.09.23 PW6, PW10, PW11, PW12	फर्द जप्ती
9	Ex P10 22.09.23 PW10, PW11, PW12	तस्दीक स्थल

10	Ex P11 लगायत Ex P15 02.07.25 PW11	धारा 27 साक्ष्य अधिनियम
11	Ex P16 लगायत Ex P20 02.07.25 PW11	फर्द सूचना धारा 27
12	Ex P21 लगायत Ex P25 02.07.25 PW11, PW13	धारा 27 की सूचना
13	Ex P26, Ex P27 02.07.25 PW11, PW13	तस्दीक नक्शा मौका
14	Ex P28 02.07.25 PW11	फर्द जप्ती ट्रोली
15	Ex P29 02.07.25 PW11, PW13	नक्शा मौका बरामदगी
16	Ex P30 02.07.25 PW11	धारा 27 की सूचना

(B) बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
-	–	–

(C) न्यायालय प्रदर्श:

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
	NIL	

(D) सारवान वस्तु एवं मालखाना:

क्र.सं.	सारवान वस्तु एवं मालखाना का क्रमांक	वर्णन	मालखाना रजिस्टर के क्रमांक एवं वर्णन
	NIL		

नोट :– हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण मनोज सहरिया व दुर्गाशंकर मफरूर है। इस निर्णय के माध्यम से केवल अभियुक्तगण राकेश उर्फ कालू व हेमराज की हद तक प्रकरण का निस्तारण किया जा रहा है।

1. इस प्रकरण में आरोप पत्र थानाअधिकारी, पुलिस थाना सदर बारां की ओर से जरिए अभियोजन अधिकारी अभियुक्त के विरूद्ध जुर्म धारा 379, 401 भा0दं0सं0 के तहत पेश किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक दिनांक 09.02.2016 को फरियादी श्री राजेन्द्र पुत्र चन्द्रप्रकाश ने उप० थाना होकर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह ग्राम माथना का रहने वाला है। उसने एक ट्रेक्टर नम्बर आरजे 28 आरए 0019 महिन्द्रा 575 डीआई ले रखा है जिसका मोडल नम्बर 2005 ईन्जन नम्बर जेएई 167 चेसिस नं० जेएई 167 है, जो ट्रेक्टर उसकी बहिन पद्मा बाई, रुकमणी बाई, उसकी मां सुशीला बाई व उसकी दादी मथरीबाई के नाम से रजिस्ट्रेशन है व उसके

ट्रेक्टर के लिए उसने एक डम्पर ट्रोली गणेश मेटल बारां की ले रखी है। दिनांक 8.2.2016 को शाम को 6–7 बजे करीब उसने उसका उक्त ट्रेक्टर व ट्रोली उसके मकान के सामने खड़ी की थी। सभी घरवाले रात को 9–10 बजे खाना खा पीकर सो गये थे। सबह 6 बजे उठे व देखा तो उनके मकान के सामने खड़ा उनका ट्रेक्टर ट्रोली नहीं मिले। रात्रि को कोई अज्ञात व्यक्ति उसके ट्रेक्टर ट्रोली को चुराकर ले गए हैं।.....इत्यादि।

3. उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना सदर बारां पर मुकदमा नं0 45/2016 दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 379, 401 भा0दं0सं0 में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्तानुसार उक्त धारा में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

4. बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्तगण को जुर्म धारा 379, 401 भा0दं0सं0 का आरोप पृथक से लिखित रूप में विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. तत्पश्चात साक्ष्य अभियोजन बंद की जाकर बयान मुल्जिम अंतगर्त धारा 313 दं0प्र0सं0 के लिए गए जिसमें अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को गलत होना बताया तथा बावजूद अवसर साक्ष्य सफाई पेश नहीं की।

6. बहस पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध करने का तर्क प्रस्तुत किया, जबकि दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण में मुल्जिम हेमराज से कोई भी जप्ती नहीं की गई है व राकेश से जो जप्ती बताई गई है वह खुले स्थान से की गई है तथा स्वामित्व के संबंध में कोई कागज पेश नहीं किया गया है तथा प्रकरण में मुल्जिम मनोज व दुर्गाशंकर मफरूर है तथा मुल्जिम राकेश व हेमराज के संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर पेश नहीं की गई है, इसलिए अभियुक्तगण को दोषमुक्त करने का तर्क प्रस्तुत किया।

7. उभय पक्ष की बहस सुनी व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। उनके समक्ष विचारणीय बिन्दु इस प्रकार है किः–

''न्यायालय के सामने विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 08.02.2016 को रात्रि के 9–10 बजे प्रार्थी राजेन्द्र के मकान के सामने खडे ट्रेक्टर ट्रोली को बेईमानीपूर्वक आशय से चोरी करने की नीयत से चुरा लिया व घूमती–फिरती ट्रोली के सक्रिय सदस्य के रूप में रहे। यदि हां तो अभियुक्तगण किस दण्ड का दायी है?

8. उभय पक्ष को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

9. उपरोक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाह पी0डब्ल्यू–01 राजेन्द्र ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि आज से करीब एक ढेड साल पहले की बात है। एक ट्रेक्टर महेन्द्र 575 डीआई जिसके नंबर आरजे 28 आर ए 0019 थे जो कि उसके व उसकी बहिन पदमा, रूकमणी, दादी मथरीबाइ के नाथ था, चोरी हो गया था। रात को उनके घर के सामने खडा था। ट्रेक्टर के साथ ट्रोली लगी लगी हुई थी जिसकी ट्रोली उसने गणेश मेटल बारां से बनवाई थी। ट्रेक्टर नहीं मिला तो उसने चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी जो कि प्रदर्श पी 01 है, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 02 है। पुलिस घटनास्थल पर आई थी और नक्शा मौका प्रदर्श पी 03 बनाया था जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। एक महिने बाद ट्रेक्टर व ट्रोली उन्हें सदर थाने से लिए थे। किस व्यक्ति से मिले थे उसे नाम पता नहीं है। फर्द सुपुर्दगी प्रदर्श पी 04 है जिस पर भी ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

10. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि यह सही है कि प्रदर्श पी 01 उसने लिखकर नहीं दी। यह सही है कि जब उन्होंने ट्रोली सुपुर्दगी में ली तो कलर परिवर्तित कर दिया था। यह सही है कि प्रदर्श पी 03 पर थाने में साईन करवाए थे। इस पर पुलिस ने क्या लिखा पढी की यह पता नहीं है। ट्रोली के कोई नंबर नहीं थे। उसने ट्रोली की पहचान टायरों व ट्रोली के पर्स से की थी। जप्ती स्थल पर पुलिस उसे साथ लेकर नहीं गई थी। ट्रेक्टर किससे बरामद किया था उसे पता नहीं है।

11. गवाह पी0डब्ल्यू–02 सुरेश ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह राजेन्द्र को जानता है। फरवरी 2016 में राजेन्द्र का ट्रेक्टर गुम हो गया था जो कि उनके मकान के सामने ही खडा हुआ था। ट्रोली साथ में लगी हुई थी। रात 10 बजे तक ट्रेक्टर वहीं खडा था। सुबह उठे तो पता चला कि ट्रेक्टर वहां पर नहीं था। करीब एक माह बाद ट्रेक्टर मिल गया था जो मनोज कालू से मिला था।

12. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि यह सही है कि से तो राजेन्द्र नले ही बताया था कि ट्रेक्टर चोरी हो गया है। राजेन्द्र के ट्रेक्टर को ड्राईवर चलाता था। चोरी वाले दिन ड्राईवर नहीं था वह शादी में गया हुआ था। पुलिस ट्रेक्टर को कहा से बरामद करके लाई यह पता नहीं है। राजेन्द्र के ट्रेक्टर कके नंबर उसे याद नहीं है।

13. गवाह पी0डब्ल्यू–03 जुगराज ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना करीब 4–5 साल पहले की है। राजू के घर के सामने से उसका ट्रेक्टर ट्रोली चोरी हुआ था जिसका पुलिस ने नक्शा मौका उसके सामने बनाया था जो प्रदर्श पी 03 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

14. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि प्रदर्श पी 03 पर कितनी तारीख, कितने बजे हस्ताक्षर करवाए थे आज ध्यान नहीं है। वह नक्शे मौके में नहीं समझता। प्रदर्श पी 03 में क्या लिखा है उसे पता नहीं है।

15. गवाह पी0डब्ल्यू–04 महेश ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना करीब 3 साल पहले की है। राजू का ट्रेक्टर ट्रोली उसके घर के सामने से चोरी हो गया था। ट्रेक्टर महिन्द्रा डीआई 575 था। सुबह वह राजू के घर पर गया था तब वहां भीड इकठ्ठी हो रखी थी तब उसे पता चला था कि कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा ले गया था। पुलिस ने करीब एक साल बाद ट्रेक्टर बरामद किया था।

16. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि उसे ट्रेक्टर के नंबर नहीं पता है। घटना के दिन ट्रेक्टर घटनास्थल पर था या नहीं उसे पता नहीं है। पुलिस ने उसके सामने ट्रेक्टर बरामद नहीं किया था।

17. गवाह पी0डब्ल्यू–05 राजू ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना करीब 3–4 साल पहले की है। राजू का ट्रेक्टर ट्रोली उसके घर के सामने खडा था जिसे कोई चुराकर ले गया था। पुलिस ने नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी 03 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है।

18. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि उसने मौके पर ट्रेक्टर नहीं देखा था। वह नक्शा मौका नहीं समझता। प्रदर्श पी 03 पर सुबह 8–9 बजे हस्ताक्षर करवाए थे। सीआई साहब आए थे तब हस्ताक्षर किए थे।

19. गवाह पी0डब्ल्यू–06 शंकर सिंह ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 27.02.16 को थाना सदर बारां में कानि० के पद पर था। उस दिन मुकदमा नं० 45/16 धारा 379 आईपीसी में आईओ श्री महावीर प्रसाद ने मुल० दुर्गाशंकर, राकेश उर्फ कालू व मनोज सहरिया को उसके समक्ष जरिये फर्द गिरफ्तार किया था जो कमशः प्रदर्श पी० 5, 6 व 7 है जिन पर ए से बी उसके हस्ता० है। दिनांक 28.02.16 को मुल०गण की निशादेही से घटनास्थल तस्दीक कर नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी० 8 है जिस पर ए से बी उसके हस्ता० है। दिनांक 05.08.16 को मुल० हेमराज को उक्त मुकदमें में श्री

जगदीश सहायक उपनिरीक्षक ने न्यायालय आदेशानुसार झालावाड से प्राप्त कर उसके समक्ष गिरफ्तार किया था जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी० 9 है जिस पर ए से बी उसके हस्ता० है। दिनांक 08.08.16 को मुल० हेमराज ने जिस स्थान पर ट्रोली व रंग साफ करवाया था उस स्थान की तस्दीक करवायी थी जो प्रदर्श पी० 10 है जिस पर ए से बी उसके हस्ता० है।

20. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि यह सही है कि घटनास्थल के आस पास काफी लोग निवास करते है। आपसी रंजीश के कारण कोई स्वतंत्र गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ था। किस किस से गवाह बनने बाबत् पूछा था नाम याद नहीं है। घटनास्थल पर कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे। यह सही है कि टिनास्थल के दोनों गवाह पुलिसकर्मी है। यह गलत है कि सारी कार्यवाही थाने पर बैठकर की हो।

21. गवाह पी0डब्ल्यू–07 अर्जुनराम ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 27.02.16 को थाना सदर बारां में कानि० के पद पर था। उस दिन मुकदमा नं० 45/16 धारा 379 आईपीसी में आईओ श्री महावीर प्रसाद ने मुल० दुर्गाशंकर, राकेश उर्फ कालू व मनोज सहरिया को उसके समक्ष जरिये फर्द गिरफ्तार किया था जो कमशः प्रदर्श पी० 5, 6 व 7 है जिन पर सी से डी उसके हस्ता० है। दिनांक 28.02.16 को मुल०गण की निशादेही से घटनास्थल तस्दीक कर नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी० 8 है जिस पर सी से डी उसके हस्ता० है।

22. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि यह सही है कि घटनास्थल के आस पास काफी लोग निवास करते है। आपसी रंजीश के कारण कोई स्वतंत्र गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ था। किस किस से गवाह बनने बाबत् पूछा था नाम याद नहीं है। घटनास्थल पर कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे। यह सही है कि घटनास्थल के दोनों गवाह पुलिसकर्मी है। यह गलत है कि सारी कार्यवाही थाने पर बैठकर की हो।

23. गवाह पी0डब्ल्यू–08 सुशीला ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि राजेन्द्र उसका पुत्र है। उसके पति की मृत्यु हो जाने पर उनकी खाते की जमीन वह उसका नाम आ गया। उसके लडके ने उस जमीन पर ट्रेक्टर ले रखा है। करीब पांच साल पहले उक्त ट्रेक्टर चोरी हो गया था। जो पुलिस ने ढूंढ लिया था।

24. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि ट्रेक्टर के नंबर उसे याद नहीं है। अज खुद कहा कि वह पढी लिखी नहीं है। ट्रेक्टर बाद में मिल गया था। इसके अलावा उसे ओर कोई जानकारी नहीं है।

25. गवाह पी0डब्ल्यू–09 रूकमणी उर्फ मोहनी ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि राजेन्द्र उसका भाई है। उसके पिताजी की मृत्यु हो जाने पर उनकी खाते की भूमि में उनके नाम है। राजेन्द्र ने उस जमीन पर ट्रेक्टर ले रखा है। जिसमें उनके नाम है। उक्त ट्रेक्टर ढोली उसके भाई के पास ही रहती थी जो करीब पाच छ साल पहले चोरी हो गया जो बाद में पुलिस ने ढूंढ लिया था।

26. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि ट्रेक्टर के नंबर उसे याद नहीं है। ट्रेक्टर उसके भाई के पास रहता है। उसे इसके अलावा ओर कोई जानकारी नहीं है।

27. गवाह पी0डब्ल्यू–10 रामलाल ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 06.03.2016 को थाना बारां सदर में कानि० के पद पर पदस्थापित था। उस दिन मुकदमा नंबर 45/16 धारा 379 आईपीसी में मुल्जिम दुर्गाशंकर, मनोज, राकेश की सूचना पर प्रकरण का माल मसूदा एक ट्रेक्टर महिन्द्रा 575 नंबर आरजे 28 आरए 0019 मुल्जिम हेमराज, सुमन निवासी दादीया जिला झालावाड के मकान से जब्त किया था। फर्द जब्ती ट्रेक्टर प्रदर्श पी 09 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 10 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

28. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि ट्रेक्टर मकान के सामने बाडे में खडा मिला। बरामदगी स्थल के आसपास काफी लोगों के मकान थे। घटनास्थल के आसपास उन्होंने गवाह नहीं ढूँढे। आसपास किस–किस के मकान थे काफी समय होने से अज उसे याद नहीं है। बरामदगी स्थल पर बने मकान पर मुल्जिम हेमराज के परिजन मिले थे। मकान मुल्जिम के परिजनों का ही था इस बाबत कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किया। यह कहना गलत है कि उसके सामने कोई जब्त नहीं हुई हो। यह कहना भी गलत है कि सारी कार्यवाही थाने पर बैठकर की हो। बरामदगी स्थल के आगे गेट लगा हुआ था लेकिन गेट पर ताला नहीं था। यह कहना सही है कि बरामदगी स्थल चार दीवारी नहीं थी खेत था। खेत पर ही मकान बना हुआ था। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 09 व 10 पर मौके पर किसी भी गवाह के हस्ताक्षर नहीं

करवाये। वे प्राइवेट वाहन से गये थे। उन्होंने उनकी गाडी मुल्जिम हेमराज के मकान के सामने खड़ी की थी। यह कहना सही है कि हेमराज से कोई बरामदगी नहीं की।

29. गवाह पी0डब्ल्यू–11 महावीर प्रसाद ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है किदिनांक 09.02.2016 को वह चौकी कोयला थाना बारां सदर में एएसआई के पद पर पदस्थापित था। उस दिन थाना पर दर्ज एफआईआर नं. 45/16 धारा 379 आईपीसी का अनुसंधान थाना इंचार्ज द्वारा उसके सुपुर्द किया गया था। दौराने अनुसंधान उसके द्वारा बयान फरियादी श्री राजेन्द्र गवाह श्री निजामुद्दीन, श्रीमति रूकमणि बाई, पदमा उर्फ शकुंतलाबाई, सुशीला, सुरेश, महेश के बयान उनके कहेनानुसार लिये गये। प्रकरण में फरियादी की निशादेही से घटनास्थल का निरीक्षण कर घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया था। फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 है जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। प्रकरण में अनुसंधान से मुल्जिम दुर्गाशंकर, राकेश उर्फ कालू, मनोज सहरिया को उसके द्वारा प्रकरण में वांछित होने से जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी मुल्जिम दुर्गाशंकर प्रदर्श पी.5 है। जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। एक्स स्थान पर मुल्जिम की अंगूठा निशानी है। फर्द गिरफ्तारी मुल्जिम राकेश प्रदर्श पी.6, मनोज प्रदर्श पी 7 है जिन पर ई से एच उसके हस्ताक्षर है व जी से एच मुल्जिमान के हस्ताक्षर है। जेल हिरासत मुल्जिम दुर्गाशंकर ने स्वइच्छापूर्वक सूचना दी थी कि उसने और उसके साथियों ने माथना गावं में जिस स्थान पर चोरी की वह स्थान चलकर बता सकता है। ट्रैक्टर व ट्रोली जहां छिपाकर रखी है उन्हे में चलकर बरामद करवा सकता है। फर्द सूचना धारा 27 साक्ष्य अधिनियम अभियुक्त दुर्गाशंकर प्रदर्श पी.11, 12, प्रदर्श पी. 13, प्रदर्श पी 14, प्रदर्श पी 15 है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर मुल्जिम दुर्शाशंकर की अंगुठा निशानी है। फर्द सूचना धारा 27 साक्ष्य अधिनियम अभियुक्त मनोज प्रदर्श पी.16 लगायत 20 है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व सी से डी पर मुल्जिम मनोज के हस्ताक्षर है। फर्द सूचना धारा 27 साक्ष्य अधिनियम अभियुक्त राकेश प्रदर्श पी.21 लगायत 25 है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व सी से डी पर मुल्जिम राकेश के हस्ताक्षर है। अभियुक्तगण की सूचना पर उनकी निशादेही से तस्दीक घटनास्थल बनाया गया। फर्द तस्दीक घटनास्थल नक्शा मौका प्रदर्श पी.8 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है जी से एच व आई से जी मुल्जिमान के हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर मुल्जिम की अंगूठा निशानी है। अभियुक्तगणों की सूचना पर जिस जगह चोरी की गई ट्रोली का कलर साफ करवाने एवं नया कलर करवाने का तस्दीक नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी 26 व 27 है

जिनका ए से बी उसके हस्ताक्षर है। सी से डी व ई से एफ मुल्जिमान के हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर मुल्जिम की अंगूठा निशानी है। मुल्जिमानो की सूचना पर घटना में चोरी हुई ट्रोली को उनकी निशादेही से अनंतपुरा बरडिया बस्ती कोटा में मुल्जिम दुर्गाशंकर के निर्माणाधीन मकान के पास से बरामद करवाई थी। जो उसके द्वारा जब्त की थी। फर्द जब्ती ट्रोली प्रदर्श पी.28 है। जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। सी से डी वई से एफ मुल्जिमान के हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर मुल्जिमान की अंगूठा निशानी है। नक्शा मौका बरामदी स्थल प्रदर्श पी.29 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी एवं ई से एफ मुल्जिमान के हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर मुल्जिम की अंगूठा निशानी है। अभियुक्तगण की मुताबिक सूचना घटना में चोरी की गई ट्रैक्टर महेन्द्रा 575 नंबर आरजे 28 आए 0019 लाल रंग को ग्राम दादिया थाना सारोला जिला झालावाड में मुल्जिम हेमराज माली के घर से बरामद करवाया था। जो उसके द्वारा जब्त किया जिसकी फर्द जब्ती ट्रैक्टर प्रदर्श पी 8 है। जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर, ई से एफ व जी से एच मुल्जिमान के हस्ताक्षर है। एक्स स्थान पर मुल्जिम की अंगूठा निशानी है। फर्द नक्शा मौका बरामदगी स्थल ट्रैक्टर प्रदर्श पी 10 है जिस पर सी से डी उसके, ई से एफ व जी से एच मुल्जिमान के हस्ताक्षर है। एक्स स्थान पर मुल्जिम की अंगूठा निशानी है। न्यायालय के आदेश से ट्रैक्टर मय ट्रोली के फरियादी राजेन्द्र को सुपुर्दगी में दिया गया। फर्द सुपुर्दगी प्रदर्श पी 04 है। जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। सम्पूर्ण अनुसंधान से मुलजिम दुर्गाशंकर, मनोज कुमार, राकेश उर्फ कालू के विरूद्ध धारा 379, 401 आईपीसी एवं मुलजिम हेमराज के विरूद्ध 173 (8) में अनुसंधान शेष होने से पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना इंचार्ज को पेश की। दिनांक 05.08.2016 को जगदीश चंद एएसआई द्वारा अभियुक्त हेमराज को गिरफ्तार किया गया था तत्पश्चात अभियुक्त से अग्रिम अनुसंधान उसके सुपुर्द किया। दौराने अनुसंधान मुलजिम हेमराज अपनी स्वेच्छा से सूचना दी कि उसने जिस स्थान से चोरी की गई ट्रॉली का क्लर धुलवाया था, वह स्थान वह चलकर बता सकता है। उक्त सूचना धारा 27 साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श पी 30 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, सी से डी मुलजिम के हस्ताक्षर है। नक्शा मौका ट्रॉली का क्लर साफ करने का स्थान मुलजिम की मुताबिक सूचना पर तस्दीक की गई जिसकी फर्द तस्दीक प्रदर्श पी 10 है, जिस पर सी से डी उसके व ई से एफ मुलजिम के हस्ताक्षर है। सम्पूर्ण अनुसंधान से मुलजिम हेमराज के विरूद्ध धारा 379, 401 आईपीसी का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना इंचार्ज को पेश की।

30. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि प्रदर्श पी 24 के आधार पर कोई बरामदगी नहीं हुई। प्रदर्श पी 25 से किसी नए तथ्य का पता नहीं चला। यह सही है कि ट्रेक्टर व ट्रोली के स्वामित्व बाबत् ओरिजनल दस्तावेज व बिल या उनकी आरटीओ से प्रमाणित प्रतियां पत्रावली में मौजूद नहीं है। हेमराज से कोई बरामदगी नहीं हुई। सारे मुल्जिमानों की एक ही बरामदगी प्रदर्श पी 22 बनाई है। बरामदगी स्थल मकान मुल्जिम राकेश उर्फ कालू व हेमराज का नहीं था। प्रदर्श पी 09 बरामदगी स्थल का स्वामित्व या आधिपत्य बाबत् किसी अधिकृत अधिकारी से कोई प्रमाण पत्र नहीं लिया था। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 10 बरामदगी स्थल खुला स्थान है जहां पर कोई भी व्यक्ति आसानी से आ जा सकता है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 10 बरामदगी स्थल एक्स स्थान किस के स्वामित्व का था इस बाबत् अंकन किया हुआ नहीं है। यह सही है कि बीटीएस लोकेशन व घटनास्थल पर घटना के समय प्रयोग में लाए गए इलेक्ट्रोनिक्स डिवाईस के संबंध में पूरी पत्रावली पर कोई तथ्य अंकित नहीं है। उक्त मोबाईल क्रमांक की मोबाईल सिम किस कंपनी द्वारा किस व्यक्ति के नाम से जारी की यह केस डायरी में सिम का रिकॉर्ड नहीं है इस कारण वह यह नहीं बता सकता कि उपरोक्त मोबाईल कंपनी की सिमे किस कंपनी द्वारा किस व्यक्ति के नाम जारी की गई। अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया हो। यह सही है कि उपरोक्त तीनों मोबाईल क्रमांक अभियुक्तगण से संबंधित हो, ऐसा कोई भी दस्तावेज न्यायालय की पत्रावली, अभियोजन पत्रावली व केस डायरी में नहीं है। यह सही है कि हेमराज को उसके द्वारा सहअभियुक्तगण द्वारा पूछताछ के दौरान दी गई सूचना के आधार पर अभियुक्तगण मना गया है। यह कहना सही है कि जिस जगह का घटनास्थल तस्दी किया था वहां पर वह पहले जा चुका था। यह कहना सही है कि बरामदगी स्थल खुला स्थान है जहां कोई भी आ जा सकता है। बरामदगी स्थल के स्वामित्व बाबत् दस्तावेज प्राप्त नहीं किए थे।

31. गवाह पी0डब्ल्यू–12 प्रेमसुख ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि 06.03.2016 को वह बारां सदर में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था। उस दिन महावीर जी ए एस आई साहब ने मुकदमा नंबर 45/16 में धारा 379, 401 आई पी सी में मुल्जिम दुर्गाशंकर, मनोज व राकेश की सूचना पर एक ट्रेक्टर आर जे 28 आर ए 0019 को दादिया से जब्त किया था। फर्द जब्ती ट्रेक्टर प्रदर्श पी 9 है जिस पर आई से जे उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शा मौका बरामदगी स्थल प्रदर्श पी 10 है जिस पर आई से जे उसके हस्ताक्षर हैं।

32. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि ट्रेक्टर हेमराज माली के मकान से जप्त किया था। जिसका मकान था उसके स्वामित्व बाबत् कोई दस्तावेज नहीं मांगे। जप्तीस्थल के आसपास किस–किस केक मकान थे आज उसे याद नहीं है। यह कहना सही है कि पत्रावली में रवानगी रपट शामिल नहीं है। ट्रेक्टर किसके स्वामित्व का था यह उसे पता नहीं है। यह कहना सही है कि बरामदगी स्थल के स्वामित्व बाबत् कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किये। यह कहना सही है कि बरामदगी बाबत् कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किए। यह कहना सही है कि बरामदगी स्थल खुला स्थान माल है। जहां पर कोई भी व्यक्ति आसानी से आ जा सकता है।

33. गवाह पी0डब्ल्यू–13 मेघराज ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 29.02.2016 को वह पुलिस थाना बारां सदर में कांस्टेबल के पद पर तैनात था। उस दिन प्रकरण संख्या 45/16 धारा 379 आई पी सी में गिरफतारशुदा मुल्जिम दुर्गाशंकर, मनोज व राकेश उर्फ कालू ने आगे आगे चलकर जहां से ट्रॉली का पुराना कलर उतरवाया था वह स्थान डी सी एम रोड कोटा ले जाकर बताया। महावीर प्रसाद ए एस आई साहब ने तीनो मुल्जिमान की निशांदेही से फर्द तस्दीक नक्शा मौका ट्रॉली के कलर साफ करने का उसके सामने बनाया था जो प्रदर्श पी 26 है जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। एक्स स्थान पर मुल्जिम दुर्गाशंकर की अंगूठा निशानी है। सी से डी मुल्जिम राकेश व ई से एफ मुल्जिम मनोज के हस्ताक्षर हैं। उसी दिन जिस टॉली पर जहां से नया कलर करवाया था वहां तीनो मुल्जिमान ने आगे आगे चलकर विश्वकर्मा नगर में ले जाकर बताया कि यहां से उन्होंने ट्रॉली में नया कलर करवाया है। मुल्जिम दुर्गाशंकर, मनोज व राकेश की निशांदेही से तस्दीक नक्शा मौका उसके सामने बनाया था जो प्रदर्श पी 27 है जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं, एक्स स्थान पर दुर्गाशंकर की अंगूठा निशानी हैए सी से डी राकेश व ई से एफ मनोज के हस्ताक्षर है। उसी दिन मुल्जिम दुर्गाशंकर, मनोज व राकेश ने अपनी इत्तिलानुसार आगे आगे चलकर दुर्गाशंकर के निर्माणाधीन मकान अनंतपुरा कोटा में ले जाकर एक टॉली जिस पर सुमन कृषि फार्म प्रेमनगर कोटा लिखा हुआ था, जिस पर लाल रंग किया हुआ था और बीच में सफेद पट्टी थी, को बरामद करवाया जिसे महावीर प्रसाद ए एस आई ने उसके सामने जरिये फर्द जब्त किया, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 25 जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं, एक्स स्थान पर दुर्गाशंकर की अंगूठा निशानी है, सी से डी मनोज व ई से एफ राकेश के हस्ताक्षर हैं। बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 29 है जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं।

34. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि जब वे मुल्जिम दुर्गाशंकर के घर पर गए घर पर उस वक्त कोई भी नहीं था निर्माण कार्य चल रहा था। जब वे पहुंचे तब ट्रोली मौके पर खडी मिली। यह उसे जानकारी में नहीं है कि दुर्गाशंकर का मकान होने का कोई दस्तावेज देखा या नहीं देखा, दस्तावेज के बारे में देखा हो तो आई ओ बता सकता है। दरवाजे पर ताला लगा हुआ नहीं था। यह कहना सही है कि जिस जगह ट्रॉली का कलर करवाया था यहां के किसी व्यक्ति को गवाह नहीं बनाया। यह कहना गलत है कि ट्रोली खुले स्थान पर खड़ी हो बल्कि दुर्गाशंकर के निर्माणाधीन मकान के अंदर चौक में खड़ी थी। यह कहना सही है ट्रोली के मालिकाना हक बाबत् कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किये। यह सही है कि जहां से माल बरामद किया उस बाबत् स्वामित्व के संबंध में कोई कागज नहीं लिए गए। यह सही है कि बरामदगी स्थल पर परिवादी को लेकर नहीं गए थे।

35. गवाह पी0डब्ल्यू–14 पदमा उर्फ शंकुतला बाई ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसके भाई राजेंद्र ने ट्रेक्टर उसके व उसकी बहनों के नाम से खरीदा था जो ट्रेक्टर उसके भाई के पास ही रहता था जो चोरी हो गया था। 8–10 साल पहले चोरी हो गया था। उसके बाद ट्रेक्टर उसके भाई को वापस मिल गया था। ट्रेक्टर सुपुदर्गी में उसके भाई को मिल गया था।

36. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि जब ट्रेक्टर चोरी हुआ था तब उसे ट्रेक्टर के बारे में भाई ने बताया था।

37. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह जाहिरा स्पष्ट होता है कि उक्त प्रकरण में परिवादी राजेन्द्र के द्वारा रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 इस आशय की दर्ज करवाई है कि एक ट्रेक्टर नंबर आरजे 28 आरए 0019 महिन्द्रा 575 डीआई ले रखा होने, जिसका मोडल नंबर 2005 है एवं ट्रेक्टर उसकी बहन पदमाबाई, रूकमणी बाई, मां सुशीला बाई व दादी मथरीबाई के नाम से रजिस्ट्रेशन होने व ट्रेक्टर के डम्पर ट्रोली गणेश मेटल बारां की ले रखी होने, दिनांक 08.02.2016 को 6–7 बजे के आस–पास मकान के सामने खडी ट्रेक्टर ट्रोली को कोई अज्ञात व्यक्ति चुराकर ले जाने के बाबत् दर्ज करवाई गई है जिस संबंध में परिवादी राजेन्द्र पी.डब्ल्यू–01 के रूप में न्यायालय में परीक्षित हुआ है जिसने अपने बयानों में प्रदर्श पी 01 लिखकर नहीं देने, जब उसने ट्रोली सुपुर्दगी में ली तब कलर परिवर्तित कर देने एवं प्रदर्श पी 03 पर थाने पर साईन करने, इसमें पुलिस ने क्या लिखा–पढी की

पता नहीं होने, ट्रोली के नंबर नहीं होने, ट्रोली की पहचान टायरों व ट्रोली के फर्स से करने एवं जप्तीस्थल पर पुलिस के साथ नहीं जाने, ट्रेक्टर किससे बरामद किया पता नहीं होने के बाबत् साक्ष्य दी है। इसी प्रकार उक्त प्रकरण में मुल्जिम हेमराज से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं किया जाना प्रकट होता है तथा प्रदर्श पी 28 के माध्यम से मुल्जिम दुर्गाशंकर से ट्रोली बरामद होना व प्रदर्श पी 09 के माध्यम से मुल्जिम राकेश से ट्रेक्टर की बरामदगी किए जाने बाबत् फर्दात मुर्तिब होना प्रकट होता है जिस संबंध में गवाह रामलाल, प्रेमसुख, विनोद व मेघराज है जिस संबंध में गवाह रामलाल पी.डब्ल्यू–10 के रूप में परीक्षित होते हुए मुल्जिम हेमराज सुमन निवासी दादीया जिला झालावाड के मकान से प्रदर्श पी 09 के माध्यम से ट्रेक्टर की जप्ती करने व फर्द नक्शा मौका बरामदगी प्रदर्श पी 10 पर उसके हस्ताक्षर होने व ट्रेक्टर मकान के सामने बाडे में खडा मिलने व बरामदगी स्थल बने मकान पर मुल्जिम हेमराज के परिजन मिलने, मकान मुल्जिम के परिजनों का होने इस बाबत् कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं करने, बरामदगी स्थल के आगे गेट लगा हुआ होने लेकिन गेट पर ताला नहीं होने एवं बरामदगी स्थल चार दीवारी नहीं होने खेत होने, प्रदर्श पी 09 व 10 पर मौके पर किसी गवाह के हस्ताक्षर नहीं करवाने तथा हेमराज से कोई बरामदगी नहीं होने के बाबत् साक्ष्य दी है। इसी प्रकार प्रदर्श पी 09 व 10 के गवाह पी.डब्ल्यू–12 प्रेमसुख के द्वारा दादिया से ट्रेक्टर जप्त करने, ट्रेक्टर हेमराज माली के मकान से जप्त करने, जिसका मकान था उसके स्वामित्व बाबत् कोई दस्तावेज नहीं मांगने तथा जप्ती स्थल के आस–पास किस–किस के मकान थे आज याद नहीं होने के बाबत् साक्ष्य दी है। इस प्रकार गवाह प्रेमसुख व रामलाल के बयानों से प्रदर्श पी 09 व 10 की ताईद किसी भी प्रकार से नहीं होना प्रकट होती है, क्योंकि जिस स्थान से बरामदगी की गई है वह खुला स्थान होना एवं खेत होना साक्ष्य से प्रकट होता है तथा मुल्जिम हेमराज के स्वामित्व के संबंध में कोई दस्तावेज भी पेश नहीं होना प्रकट होते हैं तथा मुल्जिम हेमराज के घर से बरामदगी किए जाने बाबत् फर्द मुर्तिब की गई है जबकि मुल्जिम हेमराज से कोई जप्ती नहीं होना साक्ष्य से प्रकट होता है तथा गवाह पी.डब्ल्यू–13 मेघराज जो कि प्रदर्श पी 28 का गवाह है उसके द्वारा अपने बयानों में जब मुल्जिम दुर्गाशंकर के घर पर गए घर पर उस वक्त कोई भी नहीं होने, निर्माण कार्य चलने, जब पहुंचे तो ट्रोली मौके पर खडी मिलने, यह उसकी जानकारी में नहीं है कि दुर्गाशंकर का मकान होने का कोई दस्तावेज देखा या नहीं, दस्तावेज के बारे में देखा हो तो आईओ को पता होने, दरवाजे पर ताला लगा हुआ नहीं होने, जिस जगह ट्रोली का कलर करवाया

वहां पर किसी व्यक्ति को गवाह नहीं बनाने, दुर्गाशंकर के निर्माणाधीन मकान के अंदर चौक में खडी होने एवं ट्रोली के मालिकाना हक बाबत् कोई दस्तोवज प्राप्त नहीं करने, स्वामित्व के संबंध में कोई कागज नहीं लेने के बाबत् साक्ष्य दी है। इस प्रकार उक्त प्रकरण में गवाह विनोद के बयान नहीं होना प्रकट होते हैं तथा गवाह रामलाल, मेघराज, प्रेमसुख के बयानों से प्रदर्श पी 09 व 28 की ताईद किसी भी प्रकार से नहीं होना प्रकट होती है क्योंकि जिस स्थान से बरामदगी की गई है उसके स्वामित्व के बाबत् कोई कागज पत्रावली पर पेश नहीं होना प्रकट होते हैं तथा उक्त बरामदगी खुले स्थान से होना व उसके आस–पास किसके मकान है गवाहान को कोई जानकारी नहीं होना उक्त गवाहान की साक्ष्य से प्रकट होता है। इसी प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू–02 सुरेश के द्वारा उसे तो राजेन्द्र के द्वारा ही बताने की ट्रेक्टर चोरी होने, पुलिस ट्रेक्टर को कहा से बरामद करके लाई पता नहीं होने के बाबत् साक्ष्य दी है एवं गवाह पी.डब्ल्यू–03 जुगराज के द्वारा प्रदर्श पी 03 नक्शा मौका में क्या लिखा है पता नहीं होने के बाबत् साक्ष्य दी है। इस प्रकार नक्शा मौका प्रदर्श पी 03 जुगराज के बयानों से प्रमाणित नहीं होना प्रकट होता है तथा गवाह पी.डब्ल्यू–04 महेश के द्वारा भी ट्रेक्टर के नंबर पता नहीं होने, पुलिस ने उसके सामने ट्रेक्टर बरामद नहीं करने के बाबत् साक्ष्य दी है तथा गवाह पी.डब्ल्यू–05 राजू के द्वारा नक्शा मौका नहीं समझने व उसने मौके पर ट्रेक्टर नहीं देखने के बाबत् साक्ष्य दी है तथा गवाह पी.डब्ल्यू–06 शंकर सिंह व गवाह पी.डब्ल्यू–07 अर्जुन राम के द्वारा घटना स्थल पर कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं होने एवं घटनास्थल पर दोनों गवाहान पुलिस कर्मी होने के बाबत् साक्ष्य दी है तथा गवाह पी.डब्ल्यू–08 सुशीला के द्वारा ट्रेक्टर के नंबर व कोई जानकारी नहीं होने के बाबत् साक्ष्य दी है एवं गवाह पी.डब्ल्यू–09 रूकमणी बाई, गवाह पी.डब्ल्यू–14 पदमा उर्फ शकुंतला बाई के द्वारा अपने–अपने बयानों में ट्रेक्टर के बारे में कोई जानकारी नहीं होने के बाबत् साक्ष्य दी है तथा गवाह पी.डब्ल्यू–11 महावीर प्रसाद जो कि प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी के रूप में पेश हुआ है उसने अपने बयानों में प्रदर्श पी 24 के आधार पर कोई बरामदगी नहीं होने एवं प्रदर्श पी 25 से किसी नए तथ्य का पता नहीं चलने एवं ट्रेक्टर व ट्रोली के स्वामित्व बाबत् ओरिजनल दस्तावेज व बिल या उसकी आरटीओ से प्रमाणित प्रतियां पत्रावली में मौजूद नहीं होने व मुल्जिम हेमराज से कोई बरामदगी नहीं होने, सारे मुल्जिमानों की एक ही बरामदगी स्थल प्रदर्श पी 22 बनाने, बरामदगी स्थल मकान मुल्जिम राकेश उर्फ कालू व हेमराज का नहीं होने, प्रदर्श पी 09 बरामदगी स्थल का स्वामित्व या आधिपत्य बाबत् किसी अधिकृत अधिकारी से कोई प्रमाण

पत्र नहीं लेने एवं प्रदर्श पी 10 बरामदगी स्थल खुला स्थान होने, जहां पर कोई व्यक्ति आ–जा सकने, प्रदर्श पी 10 बरामदगी स्थल एक्स स्थान किस के स्वामित्व का है इस बाबत् कोई अंकन नहीं होने एवं घटना स्थल व लोकेशन के संबंध में पूरे दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं होने, उक्त मोबाईल क्रमांक की मोबाईल सिम किस कंपनी के द्वारा किस व्यक्ति के नाम से जारी की इस बाबत् कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं होने एवं तीनों मोबाईल अभियुक्तगण के ही हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पेश नहीं होने एवं सहअभियुक्तगण के पूछताछ नोट के अतिरिक्त अभियुक्त हेमराज के विरूद्ध साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने के बाबत् साक्ष्य पत्रावली पर दी है। इस प्रकार अनुसंधान अधिकारी महावीर प्रसाद के बयानों से मुल्जिम हेमराज से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं होना उक्त गवाह के बयानों से प्रकट होता है। जहां तक मुल्जिम के राकेश से जो बरामदगी बताई गई है वह स्थान खुला स्थान होते हुए उसके स्वामित्व बाबत् कोई कागज पत्रावली पर पेश नहीं होना उक्त गवाह महावीर प्रसाद के बयानों से प्रकट होता है। जहां तक मोबाईल की लोकेशन व सिम के आधार पर प्रकरण में मुल्जिमानों को संयोजित किया गया है उस संबंध में उक्त मोबाईल की सिम व लोकेशन के बाबत् कोई कागजात पत्रावली पर पेश नहीं होने के तथ्य को स्वयं अनुसंधान अधिकारी महावीर प्रसाद के द्वारा अपने बयानों में पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में फर्द जप्ती प्रथम दृष्टया ही संदिग्ध प्रकट होती है। जहां तक परिवादी के द्वारा जिस वाहन के बाबत् चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है उसके स्वामित्व के बाबत् कोई दस्तावेज भी पत्रावली पर पेश नहीं होना स्वयं परिवादी राजेन्द्र के बयानों से प्रथम दृष्टया प्रकट होता है तथा गवाह मेघराज, रामलाल एवं प्रेमसुख के बयानों से फर्द जप्ती व बरामदगी नक्शा मौका की ताईद किसी भी प्रकार से नहीं होना प्रकट होती है क्योंकि बरामदगी स्थल खुला स्थान होते हुए उसके स्वामित्व के संबंध में कोई कागज पत्रावली पर पेश नहीं होना प्रकट होते हैं तथा जो साक्ष्य पत्रावली पर पेश हुई है उसके आधार पर फर्द जप्ती व बरामदगी की ताईद किसी भी प्रकार से नहीं होना प्रकट होती है तथा मुल्जिम हेमराज को उक्त प्रकरण में पूछताछ नोट के आधार पर संयोजित करने के तथ्य को स्वयं अनुसंधान अधिकारी महावीर प्रसाद ने अपने बयानों में स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में मुल्जिम हेमराज को संयोजित किया गया है वह संदिग्ध प्रकट होता है। जहां तक मुल्जिम राकेश से जो बरामदगी करते हुए मुल्जिम बनाया गया है उस संबंध में उक्त मकान जहां से बरामदगी की गई है वह खुला स्थान होना स्वयं महावीर प्रसाद के बयानों से प्रकट होता

है। उक्त मुल्जिम को भी मोबाईल की लोकेशन व सिम के आधार पर जोडा जाना प्रकट होता है लेकिन उस बाबत् कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं होना स्वयं महावीर प्रसाद के बयानों से प्रकट होता है तथा अन्य मुल्जिम मनोज व दुर्गाशंकर प्रकरण में मफरूर होना प्रकट होते हैं जिस संबंध में भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर स्पष्ट रूप से पेश नहीं होना प्रकट होती है तथा टोली का सक्रिय सदस्य अभियुक्तगण रहे हो इस बाबत् भी कोई साक्ष्य पेश नहीं होना प्रकट होती है। इस प्रकार पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर फर्द जप्ती व बरामदगी गवाहान के बयानों से प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं होना प्रकट होती है, इसलिए अभियुक्तगण हेमराज व राकेश उर्फ कालू को अपराध अंतर्गत धारा 379, 401 भा0दं0सं0 में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: <u>आदेश</u> ::–

38. परिणामतः अभियुक्तगण **राकेश उर्फ कालू** पुत्र रमेशचंद निवासी माथना चौराया बारां थाना कोतवाली बारां जिला बारां राज. व **हेमराज** पुत्र गंगाराम निवासी दादिया थाना सारोला जिला झालावाड राज. को अपराध अंतर्गत धारा 379, 401 भा0दं0सं0 के आरोप में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

39. अभियुक्तगण के नियमित हाजरी बाबत् पूर्व जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं एवं मुल्जिम द्वारा धारा 437ए सीआरपीसी के तहत जमानत मुचलके प्रस्तुत किए जावे।

40. अभियुक्तगण मनोज सहरिया व दुर्गाशंकर हस्तगत प्रकरण में मफरूर है। अतः पत्रावली का कोई भी भाग नष्ट नहीं किये जाने बाबत् लाल स्याही से नोट अंकित किया जावे।

(काना राम मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला बारां (राज0)

41. निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(काना राम मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला बारां (राज0)